

अंचल अधिकारी का कार्यालय, महागामा

आदेश फलक

विविध वाद सं०-.....०३...../2022-23

सरकार के निदेश के आलोक में स्थानीय जांच के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी अभिलेख।

देनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अनुपालन
10.09.2022	<p>आवेदक-मु० मंजूर अंसारी पिता-अली बक्स अंसारी ग्राम-बकनपुर पोस्ट-पंचायत-दिग्धी थाना-महागाम, जिला-गोड्डा ने शपथ पत्र के साथ आवेदन दिया है कि इनके पुर्वज मौजा- बकनपुर में लगभग 70 वर्ष पूर्व से नाना की जमीन पर निवास कर रहे हैं किंतु इनके पास पैतृक रैयती भूमि नहीं रहने के कारण इन्हें जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है जबकि इनका जन्म एवं पालन, पोषण ग्राम-बकनपुर में ही हुई है। इन्होंने अपनी जाति "मोमिन" बताते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया है।</p> <p>झारखण्ड सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रांची के पत्रांक-14/जा०नि०-03-13/2015/का० 1754 दिनांक-25.02.2019 के आलोक में अभिलेख खोलें। उक्त पत्र के कंडिका 13 (ii) के आलोक में आवेदक के दावा के संबंध में सोलह आना रैयत को 15 दिनों का नोटिस निर्गत करें एवं इसे कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाए। साथ ही कंडिका 13 (iii) के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन मांगे।</p> <p>लेखापित अंचल अधिकारी</p> <p>10/09/2022</p>	
28.09.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार आवेदक के दादा स्व० बिरू मिया उर्फ लाल मोहम्मद अंसारी की शादी लगभग 70 वर्ष पूर्व मौजा बकनपुर, थाना सं०-440 जमाबंदी सं०-02 के जमाबंदी रैयत आलम मिया की पुत्री लोंगी के साथ विवाह हुआ था। विवाह उपरान्त आवेदक के दादा अपने परिवार के साथ मौजा बकनपुर में ही रहने लगा। आवेदक एवं इनका परिवार लगभग 07-08 दशक पुर्व से मौजा- बकनपुर, थाना नं०-440 पंचायत-दिग्धी में निवास कर रहा है। गत सर्वे खतियान में इनके पुर्वज के नाम से कोई पैतृक रैयती भूमि दर्ज नहीं है। किंतु मौजा- बकनपुर में 10.11.1978 के पुर्व से स्थायी रूप से आवासीत होने संबंधी कागजात यथा हाल सर्वे का पर्चा (Not Final) की छायाप्रति, जिसमें आवेदक के पिता के नाम अली बक्श अंसारी के नाम से खाता कायम किया गया है, जिसमें इनकी जाति मोमिन अंकित है, राशन कार्ड की छायाप्रति, निवासी प्रमाण-पत्र एवं आवेदक का आधार/वोटर/पेन कार्ड इत्यादि है। इन्होंने अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि स्थानीय जांच में ग्रामीणों से पुछताछ एवं आवेदक द्वारा समर्पित कागजात के साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदक की जाति मोमिन है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 के आलोक में आवेदक को मोमिन जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा किया है। नोटिस में दी गई तिथि तक किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं दिया है।</p>	

प्राप्त जांच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत-दिग्घी के मुखिया/वार्ड सदस्य, ग्राम-बकनपुर से दिनांक- 08.10.2022 तक सरकार के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 के कंडिका 13 (III) में निहित निदेश के आलोक में ग्राम सभा के माध्यम से मंतव्य प्राप्त करने हेतु भेजे।

लेखापित्त
अंचल अधिकारी

28/09/2022
अंचल अधिकारी,
महागामा।

17.11.2022
अभिलेख उपस्थापित। मुखिया, ग्राम पंचायत दिग्घी ने दिनांक 06.10.2022 को संपन्न ग्राम सभा के माध्यम से आवेदक मु० मंजूर अंसारी पिता-स्व० अली बक्श अंसारी ग्राम-बकनपुर का जाति के संदर्भ में स्पष्ट मंतव्य समर्पित किया है। इन्होंने ग्राम सभा के माध्यम से स्पष्ट किया है कि आवेदक के दादा स्व० बिरू मिया उर्फ लाल मोहम्मद अंसारी की शादी लगभग 70 वर्ष पूर्व मौजा बकनपुर के ज०सं०-02 के जमाबंदी रैयत आलम मिया की पुत्री लोंगी के साथ हुआ था। विवाह उपरान्त आवेदक के दादा अपने परिवार के साथ इसी मौजा में निवास करने लगे। ये यहाँ के स्थायी निवासी है। ग्राम सभा ने सर्व सम्मति से आवेदक की जाति मोमिन बतलाते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की है।

झारखण्ड सरकार, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-14/जा०नि०-03-13/2015/का० 1754 दिनांक-25.02.2019 के विभिन्न कंडिकाओं एवं उपकंडिकाओं के निदेश के आलोक में आवेदक मु० मंजूर अंसारी पिता-स्व० अली बक्श अंसारी ग्राम-बकनपुर को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संदर्भ में राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं मुखिया/वार्ड सदस्य पंचायत-दिग्घी से प्राप्त स्पष्ट मंतव्य के अनुसार आवेदक की जाति मोमिन है। इनका परिवार मौजा-बकनपुर में दिनांक-10.11.1978 के पूर्व से स्थायी रूप से आवासित है। अतः आवेदक को मोमिन जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया जाता है।

अभिलेख संचित करें।

लेखापित्त
अंचल अधिकारी

17/11/2022
अंचल अधिकारी,
महागामा।